PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING GH-4 SITUATED AT INTEGRATED TOWNSHIP AT BAGHAMAU VILLAGE ,LUCKNOW

KEYPLAN:

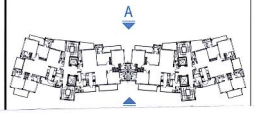

प्रतिबन्ध

1. शपथ पत्र दिनांक 30.09.2017 के अनुसार पर्यावरण विभाग की अपरापति शीघ्र जमा न करने एवं लेबर सेस की सम्बन्ध में अनुपालन न किये जाने की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. भू-स्वामित्व तथा भूमि क्षेत्र-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विवादास्पदों जोकि उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य पर संकेत, जिस भूमि का मानचित्र व अन्य विकासकार्यों सम्बन्धी के भाग हैं। भूखण्ड के जिस अवस्था गम्भर का स्वामित्व शासन द्वारा ही भूमि व जमा की भूमि होने के कारण विवादास्पदों के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकार्य तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का कृषीदरण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकार्यों के पक्ष में न हो जाये।
3. वर्तमान शासनादेशों के क्रम में लेआउट स्वीकृति प्लान के अनुसार खुलापेषण अनिवार्य होगा।
4. शासनादेश के अनुसार स्थल पर मुख्य विभिन्न निर्माण जिस क्रम सुविधित करना होगा।
5. लैण्ड स्कोपिंग प्लान व वर्षाजल प्लान के अनुसार स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
6. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
8. पेयजल इमीशन एवं सीवर सीट डिस्पोज का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. रेरा एक्ट, लेबर एक्ट व नेशनल बोर्डो कोड का अनुपालन करना होगा, तथा लेबर सेस से सम्बन्धित शुल्क जमा करके प्रमाणपत्र की सूचित करना होगा।
10. स्थल पर सार्वजनिक रूप से शिकायत व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं सम्भावित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
12. संशोधित भवन मानचित्र हेतु अग्निशमन विभाग की संशोधित अनापत्ति शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी
13. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लघुतम द्वारा सारे आने वाले पर अतिरिक्त जमा करना होगा।
14. यदि भविष्य में ऐसी कोई भवन प्रकरण में आती है कि विकासकार्यों द्वारा कोई तथ्य छुपा तथा मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

पत्र संख्या उत्तर प्रदेश भवन संहिता और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत प्राधिकरण समिति संकल्प किया जाता है कि जिला अधिकारी को विकास समिति के लिए विवेक प्रयुक्त करें।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परिपत्र संख्या 42162
दिनांक 21-07-2017
स्वीकृत की वैधता दिनांक 20-07-2022
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

DRAWING TITLE:

TOWER-3 & 4
ELEVATION-A

SCALE	1:100	DATE	27-09-16
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT & DEVELOPER:

M/S. ANS Developers Pvt. Ltd.
(Lead Member of Consortium of ANS Constructions Ltd.)
Regd. Office: 308, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021.

DESIGN ARCHITECT:

SIKKA ASSOCIATES ARCHITECTS

PLUMBING & FIRE:

M/s. Techno Engineering Consultants
Pocket-A, 30 D, Siddartha Extension
New Delhi - 110014
Phone No. - 91-11-26344608

ARCHITECT:	OWNER:
AR. SAURABH GUPTA COA Reg No.-CA/2009/42317	(अनवर रिजवी) निदेशक मे० एस०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि०

D NO.	GH-4-12	S NO.	12/13